प्रेस प्रकाशनी *

अक्तूबर 2012

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश -श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड, महाराष्ट्र

1 अक्तूबर 2012

आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड को जारी सितम्बर 29, 2011 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-56/12.22.332/2011-12 और 14 मार्च, 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-74/12.22.332/2011-12 की वैधता सितम्बर 14, 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-10 /12.22.332/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन सितम्बर 29, 2012 से मार्च 28, 2013 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले निदेश दिनांक सितम्बर 14, 2012 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र

1 अक्तूबर 2012

आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि., अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र को जारी मार्च 30, 2012 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी I/डी-76/12.22.282/2011-12 की वैधता अपने सितंबर 14, 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी I/डी-9/12.22.282/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 30 सितम्बर 2012 से 29 मार्च 2013 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले निदेश दिनांक सितंबर 14, 2012 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय निदेशक बोर्ड की आज पुडुचेरी में बैठक

4 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की आज पुडुचेरी में बैठक हुई। डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में निदेशक डॉ. अनिल काकोडकर, श्री किरण एस. कर्णिक, प्रो. एम.वी.राजीव गौड़ा, श्री वाई.एच.मालेगाम, श्रीमती इला भट्ट, डॉ. इंदिरा राजारमण और श्री वाई.सी.देवेश्वर तथा केन्द्रीय बोर्ड पर सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री अरविंद मायाराम, सचिव, आर्थिक कार्य उपस्थित थे। उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रबर्ती, डॉ. सुबीर गोकर्ण, श्री आनंद सिन्हा और श्री हारून आर.खान भी इस बैठक में उपस्थित थे।

बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति और वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों एवं नीति कार्रवाईयों की समीक्षा की।

केंद्रीय बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाती है। मुंबई, चेन्नै तथा कोलकाता में आयोजित बैठकों के अलावा केंद्रीय बजट के बाद नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाती है जिसे वित्त मंत्री संबोधित करते हैं। शेष बैठकें

* अक्तूबर 2012 के दौरान जारी महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी।

क्रमवार राज्यों की अन्य राजधानियों में आयोजित की जाती हैं। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य रिज़र्व बैंक को समग्र निर्देश उपलब्ध कराना है।

बैंकों से पुडुचेरी में शिक्षा ऋण में बढ़ोतरी का आग्रह

केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद गवर्नर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया जिसमें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक इंडियन बैंक तथा पुडुचेरी के मुख्य सचिव श्रीमती एम.सतियावती के नेतृत्व में राज्य सरकार के अधिकारियों सहित सभी बैंकों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- पुडुचेरी में शिक्षा ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में बैंक एक कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि पुडुचेरी सरकार इस संघ शासित क्षेत्र को देश में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित कर सके।
- रिज़र्व बैंक भी संपूर्ण देश में शिक्षा ऋणों पर एक स्थिति पेपर तैयार करेगा।
- रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के प्रशासन और बैंकों से आग्रह किया कि वे वित्तीय समावेशन को और सार्थक बनाए। इसमें यह अपेक्षित होगा कि खाताधारकों को ऋण तथा ऋण के साथ-साथ प्रेषण सुविधाओं के लिए अपने बैंक खातों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार और बैंक, खातों के लाभार्थियों को सीधे सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतरित करने के प्रति संयुक्त रूप से काम करेंगे ताकि ई-भुगतान के माध्यम से करों का भुगतान किया जा सके। वे फसल बीमा प्राप्त करने के लाभों से किसानों को अवगत कराने के लिए संयुक्त रूप से एक अभियान भी चलाएंगे।

इसके पूर्व रिज़र्व बैंक के गवर्नर तथा उप गवर्नरों ने एक टाउन हॉल कार्यक्रम में पुडुचेरी के महाविद्यालयों और पुडुचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा की। छात्रों ने अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों से संबंधित रोचक प्रश्न पूछे।

दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

5 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि बापुनगर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर गैर-जमानती अग्रिमों की सीमा का उल्लंघन करने, संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की रिपोर्टिंग में दी, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं किए जाने और किसी आवश्यक कारण के बिना एफआईआर के प्रस्तुतीकरण में देरी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया तथा क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और प्रस्तुतीकरण किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

छोटे आकार के शहरी सहकारी बैंकों के लिए समूह गणना विकल्प पर कार्यदल

5 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाईट पर छोटे आकार के शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए समूह गणना विकल्प पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी किया। इस कार्यदल में रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, सॉफ्टवेयर उद्योग के विशेषज्ञ तथा शैक्षिक संस्थानों के विख्यात प्राध्यापकों को शामिल करते हुए जुलाई 2012 में इसका गठन किया गया था। इस कार्यदल ने क्षेत्र की प्रोफाईल, समूह गणना में प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियां तथा शहरी सहकारी बैंकों के भीतर समूह जैसे समाधानों के उपयोग की समीक्षा की। विश्लेषण के आधार पर कार्यदल ने समूह गणना विकल्प के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है।

इस अध्ययन में यह टिप्पणी की गई है कि कई शहरी सहकारी बैंक अन्य सहकारी बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध करा

रहे हैं जिसमें डेटा केंद्र और डीआर स्थलों, स्वचालित गणना मशीनों (एटीएम) तथा भुगतान गेटवेज़ का आदान-प्रदान शामिल है। इनमें से कुछ बैंक सीधे बिक्री अथवा शुल्क आधारित एएसपी नमूने के रूप में अपने साफ्टवेयर समाधान भी उपलब्ध करा रहे हैं। यह पाया गया कि दो अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियां समूह जैसी सेवाएं भी प्रदान कर रही थीं जिसमें मुख्य बैंकिंग के साथ कई अन्य समाधान जैसेकि एचआर समाधान, ई-मेल संग्रह आदि शामिल थे जिसे बैंक पसंद कर सकते थे। ये सेवाएं अधिकांशतः निजी समूह जैसी संरचना पर उपलब्ध थीं।

कार्यदल ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उस समय तक समूह गणना समाधान स्वीकार करते समय सावधानी की अनुशंसा की है जब तक इसके मानक और प्रौद्योगिकी प्रबंध प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मामले समझे नहीं जाते हैं और उनका समाधान नहीं किया जाता है। ऐसे मामलो में जहां ऐसे नवोन्मेषी समाधान पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं, कार्यदल ने यह अनुशंसित किया है कि इस रिपोर्ट में पहचान किए गए मामलो की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित स्वरूप में की जाए ताकि जोखिम कमी उपायों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके तथा बहु-उपभोक्ता वातावरण में आंकड़ा सुरक्षा और आंकड़ा गोपनीयता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके। अंत में इस कार्यदल ने समूह अभिशासन, समूह लेखा परीक्षा, समूह प्रबंधन तथा समूह सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अध्ययन की जरूरत की पहचान की है।

आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड और आईसीआइसीआई बैंक लिमिटेड पर दंड लगाया गया

9 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड पर ₹55.00 लाख और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर ₹30.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। इन बैंकों पर 'अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों /काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों / वित्तीय आतंकवाद से लड़ाई (सीएफटी) /काला धन आशोधन अधिनियम, 2002' जैसेकि खाते खोलने के लिए पर्याप्त दस्तावेज़ प्राप्त नहीं करने, पर्याप्त ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं पूरी नहीं करने, संस्थाओं की नियंत्रण संरचना की जांच नहीं करने, संस्थाओं के पीछे स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं करने, परिवर्धित प्रभावी उचित सावधानी नहीं बरतने, समुचित जोखिम वर्गीकरण का पालन नहीं करने तथा संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्टें दर्ज करने में देरी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों और अनुदेशों के उल्लंघनों के लिए इन बैंकों पर दंड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। बैंकों के लिखित जवाब की सावधानी से जांच तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं और तदनुसार बैंक पर दण्ड लगाए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति का गठन किया

11 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बृहत्तर वित्तीय समावेशन के प्रति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति (एफआईएसी) का गठन किया। इस समिति के सदस्यों की सामूहिक निपुणता और अनुभव से पहुँचयोग्य और सहज वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सक्षम और आवश्यक बैंकिंग सेवा वितरण प्रतिदर्शों को विकसित करने, वर्तमान में बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहने वाले ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता साथ-साथ चल सकें, समुचित विनियामक ढांचा प्रस्तावित करने जैसे मुद्दों का पता लगाने की आशा की जाती है।

इस समिति के अध्यक्ष डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक होंगे तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

ए. श्री वाई.एच.मालेगाम, सदस्य, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक

बी. प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, सदस्य, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक

सी. सुश्री ईला रमेश भट्ट, सदस्य, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक

डी. श्री डी.के.मित्तल, सदस्य, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, और सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

ई. डॉ. नचिकेत मोर, अभिशासी परिषद, आईकेपी के सदस्य तथा आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक

एफ. प्रोफेसर एम.एस.श्रीराम, स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता एवं अनुबद्ध प्राध्यापक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर

जी. श्री आर.एस.शर्मा, महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

एच. श्री बी. सांबामूर्ति, निदेशक, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी)

आई. सुश्री रमा वेदाश्री, उपाध्यक्ष, नासकॉम तथा वित्तीय समावेशन निधि एवं वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि पर नाबार्ड के परामर्शी बोर्ड की सदस्या

जे. श्री पी.डी.के.राव, प्रबंध न्यासी, सोढाना धर्मार्थ न्यास

के. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ - श्री के.आर.कामत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,पंजाब नेशनल बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रभारी कार्यपालक निदेशक इस समिति के संयोजक होंगे तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक इस समिति को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराएगा।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि बृहत्तर वित्तीय समावेशन के प्रति उल्लेखनीय यद्यपि धीमी प्रगति हुई है। तथापि, भारत के सभी छह लाख गांवों में पहुंचयोग्य और सहज वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है तथा इस कार्य की दुरूहता को देखते हुए अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। यह समिति सभी स्टेकधारकों-रिज़र्व बैंक, अन्य क्षेत्रीय विनियामकों जैसेकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; बैंकों; सरकारों; नागरिक समिति; गैर-सरकारी संगठनों आदि की सहभागिता को आमंत्रित करती है।

जबकि सभी विनियामक और भारत सरकार पहले ही वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति वित्तीय समावेशन और साक्षरता पर तकनीकी कार्यदल का हिस्सा हैं, यह ज़रूरत महसूस की गई कि नागरिक समिति / गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों और अन्य लोगों को एक मज़बूत और प्रयोजनमूलक सहयोग के लिए शामिल किया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो यह समिति कंपनी कारोबारी संवाददाताओं, प्रौद्योगिकी विक्रेताओं आदि जैसे बाज़ार खिलाडियों को भी बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में बुलाएगी। जबकि भारत में चयनित वित्तीय समावेशन प्रतिदर्श प्राथमिक रूप से बैंकों के नेतृत्व में हैं, वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति बैंकों के परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रत्येक बैठकों में बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशकों को भी आमंत्रित कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. के. एन. राज की स्मृति में नई बाह्य अनुसंधान निधीयन योजना लागू किया : विद्वानों से आवेदन आमंत्रित किया

15 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. के. एन. राज की स्मृति में नई बाह्य अनुसंधान निधीयन योजना लागू किया है जिन्होंने रिज़र्व बैंक, आर्थिक आयोजना और समग्र रूप में राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा प्रदान की है। इसने पात्र विद्वानों से वर्ष 2012-13 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। साफ्ट प्रतियों में आवेदनों को 15 नवंबर 2012 तक अथवा उसके पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने की जरूरत है।

प्रो. के. एन. राज स्मृति राष्ट्रीय फेलोशिप योजना कही जाने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत अथवा विदेश के विशिष्ट अनुसंधान विद्वानों को भारत में शैक्षिक संस्थाओं में अल्प अवधि के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा विद्वान और उस संस्था जिसमें वह विद्वान कार्य करेगा के अन्य संकाय के बीच परिचर्चा को सुविधा प्रदान करना है। विषय का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान (एससीइपीआर) पर संचालन समिति द्वारा किया जाएगा।

विख्यात घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं (भारतीय अथवा विदेशी राष्ट्रिकों), अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में पेपरों / आलेखों के प्रकाशन सहित विशिष्ट व्यावसायिक योगदान वाले विद्वानों तथा विख्यात घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रायोजित विद्वान ही आवेदन के लिए पात्र हैं।

इस योजना के ब्योरे तथा आवेदनपत्र www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

प्रो. दामोदर आचार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया

16 अक्तूबर 2012

केंद्र सरकार ने प्रो. दामोदर आचार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में 12 अक्तूबर 2012 से चार वर्षों की अवधि के लिए नामित किया है। यह नामांकन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (सी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है।

वेंकटराया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

18 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए वेंकटराया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 12-69-6, इंडस्ट्रीयल एरीया रोड, टानुकु-534211, जिला पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश है, को 20 जुलाई 2001 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. बी-09.00366 29 अगस्त 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया गया

18 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक मर्यादित, मुरैना (मध्य प्रदेश) पर ऋण निवेश सीमा, बेजमानती अग्रिमों पर अधिकतम सीमा, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), काला धन आशोधन (एएमएल) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत - अभिनव सहकारी बैंक लि., राहुरी, अहमदनगर , महाराष्ट्र

19 अक्तूबर 2012

आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अभिनव सहकारी बैंक लि.,राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र को जारी 13 अप्रैल 2012 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी I/डी-80/12.22.472/2011-12 की वैधता अपने 11 अक्तूबर 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी I/डी-15/12.22.472/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 17 अक्तूबर 2012 से 16 अप्रैल 2013 तक बढ़ा दी गई है। नियम और शर्तें

अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले 11 अक्टूबर 2012 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक,बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश - श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लाज, जि. कोल्हापुर

22 अक्तूबर 2012

आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लाज,जि. कोल्हापूर को जारी 24 अक्तूबर 2011 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएएसडी-I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 और 13 एप्रिल 2012 के निदेश यूबीडी सीओ. बीएएसडी-I.नं.डी-79/12.22.249/2011-12 की वैधता अपने 16 अक्तूबर 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ.बीएएसडी-I.नं.डी-18/12.22.249/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 25 अक्तूबर 2012 से 24 अप्रैल 2013 तक छः महीने के लिए बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 16 अक्तूबर 2012 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक,बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

29 अक्तूबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि विजय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदण्डों और परिचालनगत अनुदेशों अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना लाभांश वितरित करने संबंधी अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने इन सभी पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

ट्रेज़री बिलों में प्रारंभिक नीलामी के निपटान चक्र से टी+1 निपटान में परिवर्तन

30 अक्तूबर 2012

जैसाकि मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा (पैरा सं.64) में घोषित किया गया है, मानकीकरण लाने तथा बाज़ार क्षमता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेज़री बिलों में प्रारंभिक नीलामी के निपटान चक्र को टी+2 से घटाकर टी+1 निपटान किया जाए। यह परिवर्तन 21 नवंबर 2012 से प्रभावी होगा।

उधना सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात

31 अक्तूबर 2012

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उधना सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात पर 20 अप्रैल 2012 के अपने निर्देश यूबीडी. सीओ.बीएसडी-II.नं./डी-81/12.21.354/2011-12 के अनुसार लागू निर्देशों की अवधि जो 1 नवंबर 2012 को समाप्त हो रही है उसे समीक्षा के अधीन 10 अक्तूबर 2012 के संशोधित निर्देश सं. यूबीडी.सीओ.बीएसडी-II/डी-16/12.21.354/2012-13 के अनुसार और छह महीने अर्थात् 1 मई 2013 तक बढ़ाया गया है। इस विषय में इच्छुक आम जनता के अवलोकन के लिए उक्त संशोधित निर्देश बैंक परिसर में प्रदर्शित किया गया है।